



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./65-A/2025/ 72/Accom. Sec.

दिनांक- 10/12/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Dr. Farhan Ahmad Khan, JR1, Orthopaedic को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 07.11.2025 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व में आवंटित आवास संख्या A Type (PG Quarter) B- 03 को रद्द करते हुए, आवास सं० A Type (PG Quarter) A- 103 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास सं० A Type (PG Quarter) A- 103 को अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में, आवंटित आवास सं० A Type (PG Quarter) B- 03 को अधीक्षण अभियंता (सिविल) को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./65-A/2025/ 72-/Accom. Sec.

दिनांक- 10/12/2025

प्रतिलिपि:- Dr. Farhan Ahmad Khan, JR1, Orthopaedic/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वायत्तायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./65-A/2025/71/Accom. Sec.

दिनांक-10/12/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter Type
1.	Dr. Nibha Kumari	JR1	Pulmonary Medicine	A Type (PG Quarter) B- 02
2.	Dr. Nikita Kumari	JR3	Paediatric	A Type (PG Quarter) A- 203

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भर्ति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

हो/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक:- Q.A./65-A/2025/71/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- उक्त पी०जी० छात्र एवं छात्राओं/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:- Q.A./67/2025/73/Accom. Sec.

दिनांक- 10/12/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Chanda Kumar, Nursing Officer, L.T.U को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 13.11.2025 के आलोक में आवास संख्या Old B Type- 3/1 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से सम्पर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से सम्पर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गै०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./67/2025/ 73/Accom. Sec.

दिनांक- 10/12/2025

प्रतिलिपि:-

Chanda Kumar, Nursing Officer, L.T.U/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गै०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/70/Accom. Sec.

दिनांक-10/12/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

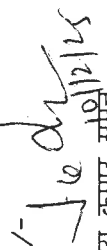
Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter type
1.	Dr. Raman Kumar	Assistant Professor	Anaesthesiology	Old D Type- 3/2

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

हो/- 
डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./60/2024/70/Accom. Sec.

दिनांक- 10/12/2024
प्रतिलिपि:- उक्त संकाय/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यों प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./46/2021/ 74/Accom. Sec.

दिनांक- 10/12/25

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत सोहराई लिण्डा, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक (प्रशा०) को आवंटित आवास सं० A Type- 2/5 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 27-11-2025 की तिथि से, इन्हें आवास भत्ता का भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

ह0 / --

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:- Q.A./46/2021/ 74/Accom. Sec.

दिनांक- 10/12/2025

प्रतिलिपि:- सोहराई लिण्डा, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक (प्रशा०)/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14

10/12/25



इन्दिरा गंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशासनी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/78 /Accom. Sec.

दिनांक- 16/12/2024

कार्यालय आदेश

Dr. Malhar Bambholia, Dr. Prateek Bansal एवं Dr. Netranandan Acharya, M.Ch-1, Surgical Gastroenterology, Session (2024-2027) को सूचित किया जाता है कि आवास आवंटन के मानक प्रक्रिया पूरी करने में 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए इस अवधि का आवास भत्ता देय नहीं होगा।

ह0 / -

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गै०आयु०सं०, पटना
दिनांक- 16/12/2024

ज्ञापक:- Q.A./59/2024/78 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गै०आयु०सं०, पटना-14

16/12/24
संजय कुमार सुमन



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/79 /Accom. Sec.

दिनांक- 16/12/2025

कार्यालय आदेश

Dr. Prachi Singh, JR1, Ophthalmology, Session (2024-2027) को सूचित किया जाता है कि आवास आवंटन के मानक प्रक्रिया पूरी करने में 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए इस अवधि का आवास भत्ता देय नहीं होगा।

हो/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गो०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:- Q.A./59/2024/79 /Accom. Sec.

दिनांक- 16/12/2025

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपी:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14

Recd.
16/12/25



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./09/2020/ 77 /Accom. Sec.

दिनांक- 15/12/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Nutan, Senior Nursing Officer, Deptt. of Endoscopy को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 30 / 09 / 2025 के आलोक में आवास सं० C Type-1/7 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से सम्पर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से सम्पर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गा०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./09/2023/ 77 /Accom. Sec.
प्रतिलिपि:- Nutan, Senior Nursing Officer, Deptt. of Endoscopy /निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास आवंटन समिति
इ०गा०आयु०सं०, पटना





इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./43/2020/76 /Accom. Sec.

दिनांक- 15/12/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Mrs. Shyja K.J., Senior Nursing officer, IGIMS को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03 / 10 / 2025 के आलोक में, इन्हें आवंटित आवास सं० Old MNH Type-3/6 संस्थान में समर्पण करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

हृत्—

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./43/2020/76 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Mrs. Shyja K.J., Senior Nursing officer, IGIMS/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. K. D.
S/12/4

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14

15/12/25



इन्दिरा गंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/ 75/Accom. Sec.

दिनांक- 15/12/2025

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Smt. Sangeeta Singh, Assistant Professor, College of Nursing को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20/08/2025 के आलोक में, इन्हें आवंटित आवास सं० Old D Type- 4/3 संस्थान में समर्पण करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

ह0 / -

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गै०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./59/2024/ 75/Accom. Sec.

दिनांक- 15/12/2025

प्रतिलिपि:- Smt. Sangeeta Singh, Assistant Professor, College of Nursing/निदेशक
कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता
(विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


15/12/25

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन

अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गै०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/ 81 /Accom. Sec.

दिनांक- 02/01/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter type
1.	Dr. Rahul Kumar	Assistant Professor	Gastroenterology	Old D Type- 6/4

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

हो/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./60/2024/ 81/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Dr. Rahul Kumar, Assistant Professor, Gastroenterology/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/01/26
डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14

02/01/26
Dr. Rahul Kumar



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/2024/MDH/ 80 /Accom. Sec.

दिनांक-31/12/2024

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter type
1.	Dr. Armendra Kumar Arya	Senior Resident	Pharmacology	Old MDH- 2/7
2.	Dr. Tata Srinivas emberumannar gupta	M.Ch-II	Urology	Old MDH- 1/12

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

- Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
- एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह० / -

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापक:- Q.A./58/2024/MDH/ 80 /Accom. Sec.

दिनांक-31/12/2024
प्रतिलिपि:- उक्त चिकित्सकों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

31/12/2024
संजय कुमार सुमन



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14
(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./58/2024/MDH/04 /Accom. Sec.

दिनांक 14/01/2026

सेवा में,
वित्तीय सलाहकार,
इ०गौ०आ०स०, पटना-14

विषय:- सत्र (2024-2027) के SR/DM/M.Ch के छात्र एवं छात्राओं को आवास की अनुपलब्धता के एवज में आवास भत्ता का भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपपुस्त विषय के आलोक में सूचित करते हुए कहना है कि SR/DM/M.Ch के छात्र एवं छात्राओं ने सत्र (2024-2027) में संस्थान के अलग-अलग विभाग में नामांकन लिया है। उक्त छात्र-छात्राओं ने संस्थान में छात्रावास/आवास आवंटन के आलोक में आवेदन दिया है, परंतु आवास की अनुपलब्धता होने के कारण उक्त छात्राओं को आवास आवंटन नहीं हो सका है जो नाम इस प्रकार है:-

DM/MCH/SR Students who have applied for allotment of accommodation but have not got the accommodation yet.
Session (2024-2027)

Sl. no.	Candidate Name	Designation	Department	Date of Joining	Application Apply Date	Session
1	Dr. Milan Dhariwal	M.Ch	Reproductive Medicine	20-06-2025	20-06-2025	2024-2027
2	Dr. Rishav Raj	DM	Gastroenterology	19-06-2025	20-06-2025	2024-2027
3	Dr. Rajeev Kumar	DM	Nephrology	20-06-2025	08-08-2025	2024-2027
4	Dr. Kanak Kumari	SR	CCM	17-06-2025	25-08-2025	2024-2027
5	Dr. Rupesh Kumar Tiwari	SR	Medicine Gastroenterology	04-08-2025	08-08-2025	2024-2027
6	Dr. Kunj Supragya	DM	Cardiology	20-06-2025	04-12-2025	2024-2027
7	Dr. Gautam Kumar	DM	Urology	20-06-2025	07-12-2025	2024-2027
8	Dr. Mohan Kumar	M.Ch	Neurosurgery	11-08-2025	12-11-2025	2024-2027
9	Dr. Md. Saiful Rahman	M.Ch	Neurosurgery	04-08-2025	12-11-2025	2024-2024
10	Dr. Ashutosh Rishav	M.Ch	Urology	20-06-2025	09-12-2025	2024-2027
11	Dr. Divyakant Shekhar	M.Ch	Urology	20-06-2025	09-12-2025	2024-2027
12	Dr. Faiyal Rasheed Arshi	DM	Nephrology	25-06-2025	24-12-2025	2024-2027

चूंकि शासी निकाय के पत्रांक 515/Acad., Dated 11.06.2022 के द्वारा संस्थान परिसर में आवास उपलब्ध न होने पर उक्त DM/M.Ch/SR छात्र-छात्राओं को आवास भत्ता की भुगतान किया जा सकता है।

उक्त आलोक में दिनांक 19/11/2025 को संपन्न हुई आवासीय सलाहकार समिति के बैठक के मद्द संख्या-07 के अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत, उपरोक्त SR/DM/M.Ch के छात्र-छात्राओं को संस्थान में छात्रावास/आवास आवंटन न होने के एवज में, आवास आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आवास भत्ता का भुगतान करने हेतु अनुमति दिया जाता है।



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./60/2024/

/Accom. Sec.

दिनांक-

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Mrs. Sangita Singh, Assistant Professor, IGIMS- College of Nursing को आवंटित आवास सं० Old D Type- 4/3 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 18-12-2025 की तिथि से,

इन्हें आवास भत्ता का भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

ह0 / -

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आयु०सं०, पटना
दिनांक- 13/01/2026

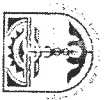
ज्ञापक:- Q.A./60/2024/03 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Mrs. Sangita Singh, Assistant Professor, IGIMS- College of Nursing/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/01 /Accom. Sec.

दिनांक- 08/01/2026

कार्यालय आदेश

डॉ० अभय कुमार, सह-प्राध्यापक, ट्रॉमा एवं आकस्मिक चिकित्सा विभाग को आवंटित आवास समर्पण के उपरांत आवास भत्ता के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक 19/11/2025 को आवास सलाहकार समिति की आहूत बैठक में आवास भत्ता का भुगतान पर पुनर्विचार करने हेतु प्रस्ताव पर सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत डॉ० अभय कुमार, सह-प्राध्यापक, ट्रॉमा एवं आकस्मिक को आवंटित आवास सं० पुराना डी० टाईप- 6/6 संस्थान में समर्पण की तिथि 16.06.2025 से, इन्हें आवास भत्ता का भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में लेखा शाखा द्वारा आवश्यक कारवाई अपेक्षित होगी।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गौ०आयु०सं०, पटना

ज्ञापक:- Q.A./59/2024/01 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- डॉ० अभय कुमार, सह-प्राध्यापक, ट्रॉमा एवं आकस्मिक/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


08/01/26

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आयु०सं०, पटना-14





इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./43/2020/ 02 /Accom. Sec.

दिनांक- 08/01/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Mrs. Shyja K.J., Senior Nursing Officer को आवंटित आवास सं० Old MNH- 3/6 संस्थान में समर्पण करने के पश्चात् पत्रांक:-Q.A./48/2021/95/Accom.Sec. दिनांक-23/08/2021 के तहत दिनांक 23-12-2025 की तिथि से, इन्हें आवास भत्ता का भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाता है।

ह0 / -

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गै०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:- Q.A./43/2020/ 02 /Accom. Sec.

दिनांक- 08/01/2026

प्रतिलिपि:- Mrs. Shyja K.J., Senior Nursing Officer/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपी:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. K. Singh

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति

इ०गै०आयु०सं०, पटना-14